



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2018/माघ 13, 1939

No. 437]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2018/MAGHA 13, 1939

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

**का.आ. 506(अ).**—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

### प्रारूप अधिसूचना

और, दम्पा बाघ रिजर्व मिजोरम में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यह मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में ममीत जिले में स्थित है। इसके साथ बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा एवं त्रिपुरा राज्य की सीमा लगी है। यह मिजोरम के आइजोल जिले से लगभग 127 किलोमीटर दूर स्थित है।

और, दम्पा बाघ रिजर्व का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत दम्पा पहाड़ियां, पथलवी लुनग्लेन पहाड़ी, छवरपेल पहाड़ियां और कई अन्य पहाड़ियां आती हैं। यह क्षेत्र उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें वार्षिक वर्षा

1700 मिमी से 3900 मिमी के बीच होती है। दम्पा बाघ अभयारण्य का मध्यवर्ती क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी अवर्गीकृत भूमि है, जबकि उत्तरी भागों की ओर वाले क्षेत्र को टट-लैंगकैह नदीय रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है जहां का अधिकांश क्षेत्र कुछ गहरी घाटियों और नदियों वाला पहाड़ी क्षेत्र है। 70% क्षेत्र में खड़े ढलान पहाड़ी क्षेत्र और 30% क्षेत्र में नम्र ढलान हैं तथा रेतीली मिट्टी और तलछटी चट्टानें हैं;

और, दम्पा बाघ रिजर्व के पारिस्थितिकीय, वानस्पतिक, जीवजन्तु संबंधी और प्राकृतिक महत्व को देखते हुए मिजोरम राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार की अधिसूचना सं. एफ -1-1/92-पीटी, दिनांक 20 अक्टूबर 1994 के तहत अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, इसे और इसके, संरक्षण, प्रचार, विकास और पर्यावरण की आवश्यकता वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत अधिसूचना सं. बी.11011/14/90-एफएसटी, दिनांक 7 दिसम्बर, 1994 के द्वारा बाघ रिजर्व घोषित किया गया है;

और, दम्पा टाइगर रिजर्व आश्चर्यजनक जैव विविधता का संरक्षक और सहायक है। यह वनस्पतियों की 31 प्रजातियों, जीवों की 18 प्रजातियों, उभयचरों और सरीसृपों की 8 प्रजातियों और 17 महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है। वनस्पतियों की 31 प्रजातियों में चेंगकेक (*गार्सिनिया लांसएफ्रोफ्रिया*), कावटेडुंग (*डिलनिया इंडिका*), कांगटेक (*अल्बिज़िया प्रोसेरा*), लुंगखुप (*मितराजिना रोटुंडीफोलिया*), नौथक (*लिटसेई मोनोपेटला*), सेलुटर (*सिपियम इंसिजने*), सखिथेई (*फ्लैकोर्टिया जंगगोमास*), थिंग्सई (*कास्टानॉपिस ट्राब्युलोइडेस*), छवांट्यूअल (*अपोर्सा ऑक्टान्द्रा*), चिंगित (*ज़ांथॉक्साइलम राइट्स*), हेसें (*मेसिया फेरेआ*), हनख्हार (*मकारंगा इंडिका*), हनम (*एंजेलहार्डिआ स्पिकाटा*), खुंगथली (*बिशोफ्रिया जावानीका*), लुनगली (*मोरस मैक्रोरा*), मकपाजंगकांग (*कैसिया नोडोसा*), फूंचवांग (*बाँम्बाक्स साइबा*), सनहलू (*एमब्लिका ऑफिसिनालिस*), छवातन (*फेजरलिनडिया फासीक्यूलेट*), पर अरसी (*तबेनैमोटाना दवाराकाटा*), थाकपुई (*डेंड्रॉनैड सिनायुटा*), वीकेप (*मुसेन्द्र राक्सबरघी*), ह्रीपुइ (*कैलामास इरेक्टस*), मॉटक (*सेलोकाना बासीफेरा*), फुलरुआ (*डेंड्रोकैलेमस हुकुरी*), सायरिल (*डिनकोलोआ कॉम्पैक्टफ्लोरा*), रावमी (*डेंड्रोकैलेमस सिक्किमसिस*), वनपुई (*डेंड्रोबियम क्रायसोटॉक्सस*), वनसेइ (*डेंड्रोबियम फिम्रियाटम*), लॉवहलेइ (*वांडा कोरुलेआ*) और केला बेंग (*पापीलियनांथे तेरेस*) सम्मिलित हैं;

और, दम्पा बाघ रिजर्व 18 महत्वपूर्ण स्तनधारी प्रजातियों का आश्रय स्थल है। जिनमें सामान्य तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*), लमचित्ता (*निफोलीस नेबुलोसा*), मारबलड बिल्ली (*पेडॉफेलीस मार्मोराटा*), तेंदुआ बिल्ली (*प्रियोयेल्यूरस बेंगलेंसिस*), बनबिलार (*फेलिस चाँस*), एशियाई काला भालू (*उर्सस थिबेटनस*), मलयान सन भालू (*हेलारकोट्स मलयेशस*), धौल (*कुओन अल्पाइनस*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), गौर (*बोस गौरास*), सेरो (*नामोरेडस सुमरात्रिस*), मुंजक (*मुनिटास मुंटजैक*), पश्चिमी हुलांक उतक (*हूलाँक हूलाँक*), फैरे लिफ बंदर (*ट्रैक्टीपिटहेकस फेयरेई*) स्टम्पड लघु पुच्छ वानर (*मकाका आर्कटोइडेस*), कैण्ड लंगूर (*ट्रैक्टीपिटहेकस पाइलैटस*), लजीला वानर (*नीक्टिसबस बेंगलेंसिस*) और पिग- लघु पुच्छ वानर (*माकाका लिओनीना*) आदि सम्मिलित हैं;

और, दम्पा बाघ रिजर्व में पक्षियों की विविधता है और यह 17 महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है जिनमें ग्रेट धनेश (*बुसेरस बिकोरनीस*), ब्रेथेड धनेश (*रीयटीसोरस अंडुलाटस*), मैलान नाइट बगुला (*गॉस्कथिस मेलेनोलाँफस*), स्कार्लेट-बैकड फ्लावर चोकर (*डिकेएम क्रूटैटम*), ग्रे मयूर तीतर (*पॉलीपैक्ट्रोन बिलिक्रेटस*), रेड-हेडेड ट्रोगोन (*हार्पेक्टस इरिश्रोसिफ़लस*), व्हाइट धमाकेदार शमा (*कॉपिसिक मालाबेरिकस*), धारीदार टिट बब्बलर (*मिक्कोर्निस गुलारिस*), श्वेत-बिल्ड यूहिना (*एरप्लेक्सी जांथोलुका*), काली लेण्ड मोनार्च (*हाइपोथिमिस अज़ोरा*), पीले-बेली वारबलर (*एब्रोसोकस सुपरसिलियारिस*), सफ़ेद ब्रश पिकुलेट (*सासीआ ओत्रेसिया*), पेले-हेडेड कठफोडवा (*गिसिनलस ग्रांटिया*), रुफस-फॉटेंड बब्बलर (*स्टेचिरिडिपिस रूफिक्रेंस*), रुफस-कैण्ड बब्बलर (*स्टेचिरिडिपिस रूफिसप्स*), पफ थ्रोटेड बब्बलर (*पेलोरनेस रूफिसप्स*) और ब्राउन-चिक्ड फुलवेटा (*एलिकिप पॉयइइसेफल*) शामिल हैं;

और, दम्पा बाघ रिजर्व 8 प्रकार के उभयचरों और सरीसृपों का आश्रय स्थल है जिनमें ट्रिकल मेंढक (*ओसिडोजागा सीएफ टेनसेरिमेंसिस*), एशियाई ट्री मेंढक (*पेडॉस्टिक्स केम्पी*), खासी हिल रॉक मेंढक (*बुफ्रोइड्स मेघालयियस*), ग्रेटर हरे-बैकड ओरिएंटल स्ट्रीम मेंढक (*औडोराना लिबिडा*), ब्रोड-हेडेड फिलोटस (*राउर्चेस्ट्स पैरावुलस*), केलड बॉक्स कछुए (*कूओरा मोहती*), फ्लैट-बैकड जपुलुरा (*जपालुरा प्लानिडोरसाटा*), ड्राको जेनस की फ्लाईंग छिपकली और ब्लू-थ्रोटेड फॉरेस्ट छिपकली (*पिक्टोलामास गुलारिस*) सम्मिलित हैं;

और, दम्पा बाघ रिजर्व वनस्पति और जीवजन्तुओं की 26 स्थानिक प्रजातियों को संरक्षण, सुरक्षा और आश्रय प्रदान करता है जिनमें *माइकलिया चैम्पाका*, *टोना सीयाटा*, *टर्मिनलिया मायरोकारपा*, *डेरिस रोबस्टा*, *आर्टोकारपस एसपीपी.*, *बिस्कोफीया जावानीका*, *मेलोकाना बासीफेरा*, *डेन्ड्रोक्लामस लांगीपाथस*, लमचित्ता, सामान्य तेंदुआ, हुलांक उतक, सांभर, सेरो, मुंजक, भालू, तेंदुआ बिल्ली, मार्बलेस बिल्ली, गंध बिलाव, लंगुर, रीसस मकाक, धनेश, रेड जंगल फ्रॉवल, रीछ, बरमेसे पायथान, बसंता, हरा कबूतर आदि सम्मिलित हैं। यह राज्य में बाघों का और संभवतः उनकी अलग-थलग पड़ी संख्या का एक मात्र वास है;

और, दम्पा बाघ रिजर्व विभिन्न प्रकार की वनस्पति, जीवजन्तुओं और पक्षी-जीवों का वास है। यह मिजोरम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्थानिक वन्यजीवों की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षक और आश्रय स्थल है। अतः दम्पा बाघ रिजर्व की जैव विविधता एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इसके चारों ओर के क्षेत्र का पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण एवं सुरक्षा करना आवश्यक है।

**अतः**, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिजोरम राज्य में दम्पा बाघ रिजर्व की सीमा के चारों ओर 0 किलोमीटर से 11.44 किलोमीटर तक विस्तारित 488.0 वर्ग किमी. क्षेत्र को दम्पा बाघ रिजर्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

### 1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-

- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 488.0 वर्ग किलोमीटर है और यह दम्पा बाघ रिजर्व की सीमा के चारों ओर 0 किलोमीटर से 11.44 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
- (2) दम्पा बाघ रिजर्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।
- (3) दम्पा बाघ रिजर्व के निर्देशांक और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू मण्डलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।
- (4) भू निर्देशांकों के साथ दम्पा बाघ रिजर्व के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।
- (5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

### 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना :-

- (1) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाएगी।

- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा:--
- i. पर्यावरण;
  - ii. वन और वन्यजीव;
  - iii. कृषि और बागवानी ;
  - iv. पशुपालन और पशु चिकित्सा;
  - v. भू राजस्व और बंदोबस्त;
  - vi. स्थानीय प्रशासन;
  - vii. पुलिस;
  - viii. ग्रामीण विकास;
  - ix. नगरपालिका और शहरी विकास;
  - x. पंचायती राज;
  - xi. लोक निर्माण विभाग;
  - xii. पारि-पर्यटन सहित पर्यटन;
  - xiii. मत्स्य पालन;
  - xiv. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
  - xv. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बन सकें।
- (5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्रों के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।
- (7) आंचलिक महायोजना में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा तथा इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध, विनियमित और संवर्धित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जायेगा।
- (8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों से सम्बंधित अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय:-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग:**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा मनोरंजन के प्रयोजन के लिए चिन्हित खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा;

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कृषि भूमि एवं अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन, तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों के अधीन और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा :

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण करना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग; सुविधा भण्डार और गृह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं; और

(v) बढावा दिए गए और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

(ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ङ) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के सुधार में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(च) परंतु यह भी कि वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र जैसे हरित क्षेत्रों में कोई पारिणामी कमी नहीं की जाएगी और अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों/चैनल/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनमें उनके संरक्षण और पुनरुद्धार की योजना शामिल की जाएगी । इन क्षेत्रों में या इनके आसपास के क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सख्त दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन:**

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, :-

(i) दम्पा बाघ रिजर्व की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशा निर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नये होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जल पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भीग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिष्कार का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिष्कारों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट-** (क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान निम्न प्रकार से किया जाएगा :-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ठोस प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:** - सड़क यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जायेगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :-

**सारणी**

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	विवरण (3)
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	उद्योगों की स्थापना जिसके अंतर्गत (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) प्रदूषण कारित करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योग भी हैं।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा होगी। इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	नई बृहत जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।



	उत्पादन या प्रसंकरण ।	
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
9.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	(क) पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।  (ख) परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुज्ञात होगा।
10.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:  (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :-  (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;  (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;  (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना;

		<p>(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रहवास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुख सुविधाओं की व्यवस्था; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रोत्साहन दिए गए क्रियाकलाप।</p> <p>(ग) परन्तु गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(घ) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केन्द्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह कार्य लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स को उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

19.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्त्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिस्त्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की निगरानी की जाएगी।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुज्ञा होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

### ग. संबन्धित क्रियाकलाप

29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों या पर्यावासों की	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

	बहाली ।	
38.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

### 5. निगरानी समिति :-

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक निगरानी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

(i)	संबंधित उपायुक्त	-अध्यक्ष;
(ii)	भू-राजस्व और बंदोबस्त विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iii)	ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iv)	कृषि विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(v)	स्थानीय प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(vi)	लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(vii)	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरीग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(viii)	मत्स्य पालन विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(ix)	उद्योग विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(x)	पुलिस विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xi)	विद्युत एवं विद्युत विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xii)	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xiii)	मृदा एवं नदी संरक्षण विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xiv)	लघु सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि	-सदस्य;
(xv)	प्रकृति संरक्षण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि जिसे मिजोरम राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	-सदस्य;
(xvi)	क्षेत्रीय अधिकारी, मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-सदस्य;
(xvii)	मिजोरम राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी के एक विशेषज्ञ जिसे मिजोरम राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	-सदस्य;
(xviii)	मिजोरम राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से जैव विविधता के एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
(xix)	संबंधित डीसीएफ / डीएफओ	-सदस्य सचिव।

### 6. विचारार्थ विषय :-

- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो पारिस्थितिकी

संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हें केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्ण पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

[फा.सं. 25/21/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

### उपाबंध I

#### दम्पा बाघ रिजर्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर:

उत्तरी सीमा उस बिंदु से आरंभ होती है, जो बेलखईलुई और सजालुई का मिलन स्थल है। इसके बाद यह बेलखईलुई के रामरीलुई स्रोत (92°22'49.829"पू, 23°47'9.737"उ) से मिलती है। इसके बाद यह रामरीलुई की ओर जाकर यह सेंगमतावकलुई (92°23'51.055"पू, 23°46'38.935 उ) से मिलती है। इसके बाद यह सेंगमतावकलुई अनुप्रवाह की ओर जाकर तेईरईलुई (92°24'36.711"पू, 23°47'54.995"उ) से मिलती है। इसके बाद यह तेईरईलुई की धारा की ओर जाकर तुईनघालेंगलुई (92°26'15.066" पू, 23°44'18.582"उ) से मिलती है। इसके बाद यह तुईनघालेंगलुई की ओर जाकर सैडल स्रोत को पार करके दपलुई (92°29'36.577" पू, 23°45'54.604"उ) से मिलती है। इसके बाद यह दपलुई अनुप्रवाह की ओर जाकर तुत नदी (92°31'26.563"पू, 23°46'25.722"उ) से मिलती है।

- पूर्व:** पूर्वी सीमा उस बिंदु से आरंभ होती है जहाँ दपलुई और तुत नदियां मिलती है। इसके बाद यह तुत नदी की ओर जाकर सैडल स्रोत को पार करके मरलुई (92°28'40.057"पू, 23°33'23.354"उ) से मिलती है। इसके बाद यह मरलुई अनुप्रवाह की ओर जाकर लुंघरेलुई (92°27'31.36"पू, 23°22'2.393"उ) से मिलती है।
- दक्षिण:** दक्षिणी सीमा उस बिंदु से आरंभ होती है जो लुंघरेलुई और मरलुई का मिलन स्थल है। इसके बाद यह लुंघरेलुई की धारा की ओर जाकर डब्ल्यू.कैलेंग-मरपारा बीआरटीएफ सड़क को पार करके खावचतलुई स्रोत (92°25'38.631"पू, 23°21'50.918"उ) से मिलती है। इसके बाद यह खावचतलुई अनुप्रवाह की ओर जाकर सजालुई/तुईलैनपुई (92°25'38.631"पू, 23°21'50.918"उ) से मिलती है जो कि भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
- पश्चिम:** पश्चिमी सीमा उस बिंदु से आरंभ होती है जो सईलुई और सजालुई (92°17'30.669"पू, 23°40'54.308"उ) का मिलन स्थल है। इसके बाद यह सजालुई धारा की ओर जाकर बेलखईलुई (92°19'3.566"पू, 23°47'20.403"उ) से मिलती है।

दम्पा बाघ रिजर्व की पश्चिमी सीमा बांग्लादेश के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है और इसलिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पश्चिम की ओर '0.0' किलोमीटर का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन (बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा) पर 0 किलोमीटर से 11.44 किलोमीटर तक विस्तृत है।

#### उपाबंध-II

#### भू-स्थिति प्रणाली के संदर्भ में दम्पा बाघ रिजर्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक

##### संरक्षित क्षेत्र की सीमा के प्रमुख स्थलों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	प्रमुख स्थलों की अवस्थिति/दिशा	अक्षांश(उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1	उत्तर	24°13'37.521"उ	92°54'3.074"पू
2	पूर्व	24°14'45.601"उ	92°53'16.322"पू
3	दक्षिण	24°6'26.327"उ	92°51'22.265"पू

##### पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के प्रमुख स्थलों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	प्रमुख स्थलों की अवस्थिति/दिशा	देशांतर(पू) (डीएमएस प्रारूप)	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)
1	उत्तर	92°17'33.207"पू	23°40'51.915"उ
2	उत्तर	92°19'3.566"पू	23°47'20.403" उ
3	उत्तर	92°22'49.829"पू	23°47'9.737" उ
4	उत्तर	92°23'51.055"पू	23°46'38.935" उ
5	उत्तर	92°24'36.711"पू	23°47'54.995" उ

6	उत्तर	92°26'15.066"पू	23°44'18.582" उ
7	उत्तर	92°29'36.577"पू	23°45'54.604" उ
8	उत्तर	92°31'26.563"पू	23°46'25.722" उ
9	पूर्व	92°28'40.057"पू	23°33'23.354" उ
10	दक्षिण	92°27'31.36"पू	23°22'2.393" उ
11	दक्षिण	92°25'38.631"पू	23°21'50.918" उ
12	दक्षिण	92°23'39.859"पू	23°21'22.526" उ


**उपाबंध-III**

**भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची  
(प्रत्येक ग्राम के लिए केवल उत्तर दिशा के निर्देशांक दिए गए हैं)**

क्र. सं.	ग्राम	देशांतर(पू) (डीएमएस प्रारूप)	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)
1	डब्ल्यू. फाइलेंग	92°29'13.321"पू	23°42'51.077"उ
2	छिपुई	92°28'38.362"पू	23°38'33.573"उ
3	लाल्लेन	92°27'52.998"पू	23°37'34.876"उ
4	साईथह	92°26'46.791"पू	23°35'6.657"उ
5	फुलडुंगसेई	92°25'5.561"पू	23°29'49.578"उ
6	डब्ल्यू. फुलपुई	92°25'55.044"पू	23°24'47.354"उ
7	सिलसुरी	92°22'0.481"पू	23°23'11.602"उ
8	डैपछौह	92°31'12.916"पू	23°46'29.844"उ
9	तेईरेई वन:	92°27'9.655"पू	23°41'26.058"उ
10	खावनाई	92°26'18.157"पू	23°44'12.078"उ
11	दमपारेंगपुई	92°24'56.776"पू	23°43'25.817"उ
12	सेरमुन	92°21'31.938"पू	23°45'37.386"उ
13	तुईपुईबरी	92°19'41.696"पू	23°42'52.075"उ
14	राजीवनगर-1	92°18'14.881"पू	23°43'21.831"उ
15	बेलखाई:	92°19'17.128"पू	23°47'8.620"उ
16	कावनमावी	92°28'43.700"पू	23°39'40.170"उ

**उपाबंध-IV**

**भू-निर्देशांकों के साथ दम्पा बाघ रिजर्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र**





## उपाबंध V

## पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 2<sup>nd</sup> February, 2018

**S.O. 506(E).**—The following Draft of Notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said Draft Notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the Draft Notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-moef@nic.in.

**Draft Notification**

**WHEREAS**, the Dampa Tiger Reserve, the largest wildlife sanctuary in the Mizoram, is located at Mamit District in the western part of the Mizoram State sharing an international border with Bangladesh, boundary with Tripura state and is about 127 km from the Aizawl district, Mizoram.

**AND WHEREAS**, The Dampa Tiger Reserve is spread over an area of 500 sq km and consists of Dampa hills, Pathlawi Lunglen hill, Chhawrpial Hills and many others. The area falls within the sub-tropical region with an annual rainfall ranges between 1700 mm to 3900 mm. Buffer area of Dampa Tiger Reserve is mainly Government unclassed land while the areas line towards the Northern stretches are notified Tut-Langkaih Reverine reserve where most of the area is hilly terrain with a few deep gorges and rivers. The 70% area is steep hill slope while remaining 30% is gentle slope with sandy clay soil and sedimentary rocks;

**AND WHEREAS**, the Dampa Tiger Reserve was declared by the State Government of Mizoram considering its ecological, floral, faunal and natural significance, and its need for the protection, propagation and development of wildlife and its environment under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 vide Notification No. B. 11011/14/90-FST, dated the 7<sup>th</sup> December, 1994 after its approval from the Government of India vide notification No.F.1-1/92-PT, dated 20<sup>th</sup> October 1994;

**AND WHEREAS**, the the Dampa Tiger Reserve conserves and supports an astonishing biodiversity and supports 31 species of flora, 18 species of fauna, 8 species of amphibians and reptiles, and 17 important avifauna species. The 31 species of flora include Chengkek (*Garcinia lanceaeifolia*), Kawrthingdeng (*Dillenia indica*), Kangtek (*Albizia procera*), Lungkhup (*Mitragyna rotundifolia*), Nauthak (*Litsea monopetala*), Sailutar (*Sapium insigne*), Sakhithe ( *Flacourtia jangomas*), Thingsui (*Castanopsis tribuloides*), Chhawntual (*Aporusa octandra*), Chingit (*Zanthoxylum rhetsa*), Herhse (*Mesua ferrea*), Hnahkhar (*Macaranga indica*), Hnum (*Engelhardtia spicata*), Khuangthli (*Bischofia javanica*), Lungli (*Morus macroua*), Makpazangkang (*Cassia nodosa*), Phunchawang (*Bombax ceiba*), Sunhlu (*Emblca officinalis*), Chhawntan (*Fagerlindia fasciculata*), Par arsi (*Tabernaemontana divaricata*), Thakpui (*Dendrocnide sinuata*), Vakep (*Mussaendra roxburghii*), Hruipui (*Calamus erectus*), Mautak (*Melocanna baccifera*), Phulrua (*Dendrocalamus hookeri*), Sairil (*Dinochloa compactiflora*), Rawmi (*Dendrocalamus sikkimensis*), Banpui (*Dendrobium chrysotoxum*), Bansei (*Dendrobium fimbriatum*), Lawhle ( *Vanda coerulea*) and Kela beng (*Papilionanthe teres*);

**AND WHEREAS**, the Dampa Tiger Reserve supports 18 important mammalian species including Common leopard (*Panthera pardus*), clouded leopard (*Neofelis nebulosa*), Marbled cat (*Pardofelis marmorata*), Leopard cat (*Prionailurus bengalensis*), Jungle cat (*Felis chaus*), Asiatic black bear (*Ursus thibetanus*), Malayan Sun bear (*Helarctos malayanus*), Dhole (*Cuon alpinus*), Jackal (*Canis aureus*), Gaur (*Bos gaurus*), Serow (*Naemorhedus sumatraensis*), Barking deer (*Muntiacus muntjak*), Western hoolock gibbon (*Hoolock hoolock*), Phayre's leaf monkey (*Trachypithecus phayrei*), stump-tailed macaque (*Macaca arctoides*), capped langur (*Trachypithecus pileatus*), slow loris (*Nycticebus bengalensis*) and Pig-tailed macaque (*Macaca leonina*);

**AND WHEREAS**, the Dampa Tiger Reserve is rich in avifauna and supports 17 important bird species like Great hornbill (*Buceros bicornis*), Wreathed hornbill (*Rhyticeros undulates*), Malayan night heron (*Gorsachius melanolophus*), Scarlet-backed flower pecker (*Dicaeum cruentatum*), Grey peacock pheasant (*Polyplectron bicalcaratum*), red-headed trogon (*Harpactes erythrocephalus*), white-rumped shama (*Copsychus malabaricus*), striped tit babbler (*Mixornis gularis*), white-bellied yuhina (*Erpornis zantholeuca*), black-naped monarch (*Hypothymis azurea*), yellow-bellied warbler (*Abroscopus superciliaris*), white-browed piculet (*Sasia ochracea*), pale-headed woodpecker (*Gecinulus grantia*), rufous-fronted babbler (*Stachyridopsis rufifrons*), rufous-capped babbler (*Stachyridopsis ruficeps*), puff-throated babbler (*Pellorneum ruficeps*) and brown-cheeked fulvetta (*Alcippe poioicephala*);

**AND WHEREAS**, the Dampa Tiger Reserve supports 8 important species of amphibians and reptiles including Trickle frog (*Occidozyga cf. Tenasserimensis*), Asian tree toad (*Pedostibes kemp*), Khasi Hill rock toad (*Bufoides meghalayanus*), Greater green-backed oriental stream frog (*Odorrana livida*), broad-headed philautus (*Raorchestes parvulus*), Keeled box turtle (*Cuora mouhotii*), flat-backed japalura (*Japalura planidorsata*), flying lizard of the draco genus and the blue-throated forest lizard (*Ptyctolaemus gularis*);

**AND WHEREAS**, the Dampa Tiger Reserve also conserves, protect and provides shelter to 26 endemic species of flora and fauna including *Michelia champaca*, *Toona ciiata*, *Terminalia myrocarpa*, *Derris robusta*, *Artocarpus* spp., *Biscofia javanica*, *Melocanna baccifera*, *Dendroclamus longispathus*, Clouded leopard, Common leopard, Hoolock gibbon, Sambar, Serow, Barking dear, Bear, Leopard cat, Marble cat, Civets, Langur, *Rhesus macaque*, Horbills, Red jungle fowl, Wild boar, *Burmese phyton*, Barbets, Green pigeon. It is also home for a single and probably an isolated population of tiger in the State;

**AND WHEREAS**, the Dampa Tiger Reserve is home to a variety of flora, fauna and avifauna, and provides protection to rare and endangered species of wildlife endemic to Mizoram and the North-East region. Hence, it is necessary to conserve and protect the area around the Dampa Tiger Reserve from ecological and environmental point of view to protect and propagate the biodiversity therein and its environment;

**NOW THEREFORE**, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 488.0 sq. km with extents varying from 0 km to 11.44 km around the boundary of Dampa Tiger Reserve in the State of Mizoram as Dampa Tiger Reserve Eco-Sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-Sensitive Zone), details of which are as under, namely :-

#### 1. Extent and Boundaries of Eco-Sensitive Zone :-

- (1) The Eco-Sensitive Zone shall be 488.0 sq. km with extents varying from 0 km to 11.44 km around the boundary of the Dampa Tiger Reserve;

- (2) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone around Dampa Tiger Reserve is appended as Annexure-I;
- (3) The coordinates of Dampa Tiger Reserve and its Eco-Sensitive Zone in terms of Global Positioning System coordinates is appended as Annexure-II;
- (4) The list of villages falling under Dampa Tiger Reserve ESZ along with geo-coordinates is appended as Annexure-III;
- (5) The map of Eco-Sensitive Zone is appended as Annexure-IV;

**2. Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone :-**

**Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone :-**

- (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.
- (2) The Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this Notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments for integrating the ecological and environmental considerations into the proposed plan:
  - i. Environment;
  - ii. Forest and Wildlife;
  - iii. Agriculture & Horticulture;
  - iv. Animal Husbandry and Veterinary;
  - v. Land Revenue and Settlement;
  - vi. Local Administration;
  - vii. Police;
  - viii. Rural Development;
  - ix. Municipal and Urban development;
  - x. Panchayati Raj;
  - xi. Public Works Department;
  - xii. Tourism including Eco-tourism;
  - xiii. Fisheries;
  - xiv. Irrigation and Flood Control;
  - xv. State Pollution Control Board.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this Notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of the local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area such as park and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies. The Zonal Master Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote the eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the State and District level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this Notification.

**3. Measures to be taken by State Government :-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this Notification, namely :-

**1. Landuse:**

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
  - (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
  - (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
  - (iii) Small scale industries not causing pollution;
  - (iv) Cottage industries including village industries; Convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
  - (v) Promoted activities and activities given under para 4.
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority the relevant laws of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Provided also that there shall be no consequential reduction in the green area such as forest area and agriculture area. Efforts shall be made to reforest the unused, denuded or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

**(2) Natural water bodies:** The catchment areas of all natural rivers/channels/springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan. The strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

**(3) Tourism/ Eco-tourism:**

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
  - (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1.0 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or up to the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of 1.0 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
  - (ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism;
  - (iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

- (4) **Natural Heritage:** All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites:** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as a part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution:** Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.
- (7) **Air pollution:** Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.
- (8) **Discharge of effluents:** Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes:** Disposal and management of solid wastes shall be as under:-
- The solid waste disposal and management in Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide Notification number S.O. 1357 (E), dated 8<sup>th</sup> April, 2016;
  - Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste:** Bio-medical waste management shall be as under:
- The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
  - Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic Waste Management:** The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and Demolition Waste Management:** The management of construction and demolition waste in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste Management:** The e- waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic:** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is

prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

**(15) Vehicular Pollution:** The prevention and control of vehicular pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

**(16) Industrial Units:** (i) On or after the publication of this Notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

**(17) Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

**(18)** The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this Notification.

**4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone:**

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

S No	Activity	Description
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.  (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall be permitted.  (b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in Feb 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
<b>B. Regulated Activities</b>		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	(a) No new commercial hotels and resorts shall be permitted within 1.0 km of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities.  (b) Provided that, beyond 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism/Eco-tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies .	Regulated under applicable laws.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:  (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:  (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification.  (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.  (d) Beyond 1.0 km it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.

13.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.  (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures .	Regulated under applicable law.Underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, Microlites, helicopter, drones etc.	Regulated under applicable law.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
24.	Open well, borewell etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Use of plastic bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco-Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
<b>C. Promoted Activities</b>		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.



31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Biogas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of habitat/ degraded land/ forests.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee :-** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a district level Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

- |         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| (i)     | Deputy Commissioner concerned  | - Chairman        |
| (ii)    | Representative of Land Revenue & Settlement Department   | - Member          |
| (iii)   | Representative of Rural Development Department   | - Member          |
| (iv)    | Representative of Agriculture Department   | - Member          |
| (v)     | Representative of Local Administration Department  | - Member          |
| (vi)    | Representative of Public Works Department  | - Member          |
| (vii)   | Representative of Public Health Engineering  | - Member          |
| (viii)  | Representative of Fishery Department   | - Member          |
| (ix)    | Representative of Industries Department  | - Member          |
| (x)     | Representative of Police Department  | - Member          |
| (xi)    | Representative of Power & Electricity Department   | - Member          |
| (xii)   | Representative of Animal Husbandry & Veterinary Department   | - Member          |
| (xiii)  | Representative of Soil & Moisture Conservation Department  | -Member           |
| (xiv)   | Representative of Minor Irrigation Department  | - Member          |
| (xv)    | Representative of non-governmental organization working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by Government of Mizoram | - Member          |
| (xvi)   | Regional Officer, Mizoram State Pollution Control Board  | - Member          |
| (xvii)  | One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram                                      | - Member          |
| (xviii) | One expert in Biodiversity from reputed institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram                                 | - Member          |
| (xix)   | Concerned DCF/DFO  | -Member Secretary |

**6. Terms of Reference.-**

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The tenure of the Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said Notification.

- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 but are falling in the Eco-Sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned work in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this Notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this Notification.
8. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/21/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

#### ANNEXURE-I

#### **Boundary description of the Eco-Sensitive Zone around Dampa Tiger Reserve**

- North:** The Northern Boundary starts from the pint where Belkhailui meets Sazalui. It thence follows Belkhailui up to its source meeting Ramrilui source (92°22'49.829"E, 23°47'9.737"N). It thence follows Ramrilui till it meets Sengmatawklui (92°23'51.055"E, 23°46'38.935 N). It thence follows Sengmatawklui downstream till it meets Teireilui (92°24'36.711"E, 23°47'54.995"N). The boundary thence follows Teireilui up stream till it meets Tuinghalenglui (92°26'15.066"E, 23°44'18.582"N). It thence follows Tuinghalenglui up to its source crossing a saddle till it meets Daplui (92°29'36.577"E, 23°45'54.604"N). It thence follows Daplui downstream till it meets Tut River (92°31'26.563"E, 23°46'25.722"N).
- East:** The Eastern Boundary starts from the point where Daplui meets Tut river. It thence follows Tut river up to its source crossing a saddle till it meets Marlui (92°28'40.057"E, 23°33'23.354"N). It thence follows Marlui downstream till it meets Lunghrelui (92°27'31.36"E, 23°22'2.393"N).
- South:** The Southern boundary starts from the point where Lunghretlui meets Marlui. It thence follows Lunghretlui up stream up to its source crossing W. Phaileng–Marpara BRTF Road meeting Khawchatlui source (92°25'38.631"E, 23°21'50.918"N). It thence follows Khawchatlui downstream till it meets Sazalui/Tuilianpui (92°25'38.631"E, 23°21'50.918"N) which is an International boundary between India and Bangladesh.
- West:** The Western boundary starts from the point where Sailui meets Sazalui (92°17'30.669"E, 23°40'54.308"N). It then follows Sazalui up stream till it meets Belkhailui (92°19'3.566"E, 23°47'20.403"N).

The western boundary of Dampa Tiger Reserve shares international boundary with Bangladesh and hence '0.0' Km of Eco-Sensitive Zone is being proposed on the western side. The extent of Eco-Sensitive Zone varies from 0 (International Boundary with Bangladesh) to 11.44 Kms.

**ANNEXURE-II**

**Geo-coordinates of the Dampa Tiger Reserve and its Eco-Sensitive Zone in terms of Global Positioning System:**

**GEO-COORDINATES OF THE PROMINENT POINTS ON PROTECTED AREA BOUNDARY**

Sl. No.	Location/Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	North	24°13'37.521"N	92°54'3.074"E
2	East	24°14'45.601"N	92°53'16.322"E
3	South	24°6'26.327"N	92°51'22.265"E

**GEO-COORDINATES OF THE PROMINENT POINTS ON ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY**

Sl. No.	Location/Direction of Prominent point	Longitude (E) (DMS Format)	Latitude (N) (DMS Format)
1	North	92°17'33.207"E	23°40'51.915"N
2	North	92°19'3.566"E	23°47'20.403"N
3	North	92°22'49.829"E	23°47'9.737"N
4	North	92°23'51.055"E	23°46'38.935"N
5	North	92°24'36.711"E	23°47'54.995"N
6	North	92°26'15.066"E	23°44'18.582"N
7	North	92°29'36.577"E	23°45'54.604"N
8	North	92°31'26.563"E	23°46'25.722"N
9	East	92°28'40.057"E	23°33'23.354"N
10	South	92°27'31.36"E	23°22'2.393"N
11	South	92°25'38.631"E	23°21'50.918"N
12	South	92°23'39.859"E	23°21'22.526"N


**ANNEXURE-III**

**List of villages falling under the proposed ESZ along with geo-coordinates (coordinate of only north side is given for each village) :-**

S. No.	Village	Longitude (E) (DMS Format)	Latitude (N) (DMS Format)
1	W. Phaileng	92°29'13.321"E	23°42'51.077"N
2	Chhippui	92°28'38.362"E	23°38'33.573"N
3	Lallen	92°27'52.998"E	23°37'34.876"N
4	Saithah	92°26'46.791"E	23°35'6.657"N
5	Phuldungsei	92°25'5.561"E	23°29'49.578"N
6	W. Phulpui	92°25'55.044"E	23°24'47.354"N
7	Silsuri	92°22'0.481"E	23°23'11.602"N
8	Dapchhuah	92°31'12.916"E	23°46'29.844"N
9	Teirei Forest:	92°27'9.655"E	23°41'26.058"N
10	Khawhnai	92°26'18.157"E	23°44'12.078"N
11	Damparengpui	92°24'56.776"E	23°43'25.817"N
12	Serhmun	92°21'31.938"E	23°45'37.386"N
13	Tuipuibari	92°19'41.696"E	23°42'52.075"N
14	Rajivnagar-1	92°18'14.881"E	23°43'21.831"N
15	Belkhai:	92°19'17.128"E	23°47'8.620"N
16	Kawnmawi	92°28'43.700"E	23°39'40.170"N

**ANNEXURE-IV**

**MAP OF DAMPA TIGER RESERVE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES**



Prepared by GIS CELL EF&CC Dept. Mizoram

**ANNEXURE-V****Pro forma of Action Taken Report: Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee:-**

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: (Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure)
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: (Details may be attached as separate Annexure)
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance: